BY SPEED - POST

No. A.12018/31/2017-E.III Section 292 Government of India Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg New Delhi, Dated 27th November, 2018.

To The Chairman. Ganga Flood Control Commission, 3rd Floor, Sinchai Bhawan, Patna - 800015.

Subject: Amendment of Recruitment Rules for the posts of Assistant Director (OL) and Junior Translator i.e. Official Language Cadre posts in Ganga Flood Control Commission (GFCC), a subordinate office under Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation - regarding.

Sir.

In continuation with this ministry letter of even number dated 12.11.2018 on the subject cited above enclosed please find herewith a copy of amended RRs pertaining to Ganga Flood Control Commission namely "Ministry of Water Resources, River development and Ganga Rejuvenation, Ganga Flood Control Commission (Official Language Cadre posts) Recruitment Rules 2018". notified vide GSR number 369 dated 12.11.2018 in the weekly Gazette of India Part-II, Secion3, Sub-Section (i) dated 17.11.2018.

Encl: As above.

Yours faithfully,

Under Secretary to the Government of India

Tel No.- 23714350

Copy with enclosures to:

- 1. The Chief Librarian, Parliament House Library, New Delhi.
- 2. Lok Sabha Secretariat, Committee Branch, New Delhi.
- 3. Rajya Sabha Secretariat, Committee Branch, New Delhi
- 4. Department of Personnel & Training, Establishment RR Division, North Block, New Delhi
- 5. RRs Division, UPSC, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi.
- 6. Ministry of Law & Justice (Legislative Branch), Shastri Bhawan, New Delhi.
- 7. Ministry of Law & Justice (Official Language Wing), Shastri Bhawan, New Delhi.
- 8. NIC Cell, MoWR, RD & GR, Shram Shakti Bhawan, New Delhi (with a request to upload the aforesaid Recruitment Rule on the website of the Ministry under column Recruitment Rules of this Ministry).

Under Secretary to the Government of India Tel No.- 23714350



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Private Secretary	1*(2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial	Level - 7 (Rs. 44900- 142400/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Governments or Union territories Administration: —	Not applicable	Consultation with Union Public Service commission is not necessary.
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or		
(ii) with five years' regular service in the stenographers grade in Level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department.		
Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Government shall ordinarily not exceed three years.		
Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date for receipt of applications.		

[F.No. A.12018/1/2015-E.III(UYRB)(part-3)] SHALINI JUNEJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2018

सा.का.िन. 369.— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1987 और जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2008 को, जहां तक इनका सम्बन्ध हिन्दी अनुवादक श्रेणी-।। पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, में सहायक निदेशक (राजभाषा) (पूर्व में हिन्दी अधिकारी) और किनष्ठ अनुवादक (पूर्व में हिन्दी अनुवादक श्रेणी-।।) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (राजभाषा संवर्ग पद) भर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना .— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा,
 जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं, और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त/पुर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
- 5. निरर्हता.— वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संध लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अपचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक निदेशक (रा.भा.)	1*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनन्सचिवीय	स्तर-10 (56100- 177500 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पदि्ध्तः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन विभिन्न पद्धति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति]

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका संसचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) और प्रोन्नित]: केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रदेश अथवा रवायन अथवा कानूनी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों के अधिकारी जो:—	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

- (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो, अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में बेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 में या समकक्ष पद पर नियक्त के बाद उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा
- (iii) जिन्होंने मूल संबर्ग अथवा विभाग में बेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 में या समकक्ष नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा
- (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 में या समकक्ष नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखता हो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम:

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम;

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में, हिन्दी माध्यम से, अंग्रेजी एक अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम:

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में, अंग्रेजी माध्यम से, हिन्दी एक अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम:

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के साथ अथवा दोनों में से कोई एक विषय परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय सहित स्नातकोत्तर डिग्री;

और

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकारों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग, (पारिभाषिक लेखन) तथा अंग्रेजी से हिन्दी अथवा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद खासकर, तकनीकी और वैज्ञानिक विषय वस्तु, में तीन वर्ष का अनुभव;

अथवा

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान अथवा शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव।

बांछनीयः भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिन्दी के अलावा अन्य भाषा, मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा तक पढ़ी हो।

टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 के ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले विभागीय कनिष्ठ अनुवादक के आवेदन पर बाहरी अभ्यर्थियों के आवेदनों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार का पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाना है तो पद को पोन्नि द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है).

जिसके अंतर्गत, केन्द्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु, आवेदन प्रात होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ अनुवादक	1*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400- 112400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तिथि होगी

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम;	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण 1: पदधारक का प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य कारण से एव वर्ष से उससे अधिक अवधि के लिए पर रिक्त होने पर उसे केंद्रीय सरकार वे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भर जाएः (क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पदों की धारण करत
अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में, हिन्दी माध्यम से, अंग्रेजी एक अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का			हो; और (ख) स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वे लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखता हो।
अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में, अंग्रेजी माध्यम से, हिन्दी एक अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय सहित स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम; अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के साथ अथवा दोनों में से कोई एक विषय परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय			टिप्पण 2: उसी अथवा केंद्रीय सरकार वे किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुत्ति से तत्काल पहले किसी अन्य बाह्य संवय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित् प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आर् सीमा आवेदन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख पर छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
सहित स्नातकोत्तर डिग्री: और हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय सहित			

स्नातक उपाधि या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा विषय के रूप में रहा हो और हिन्दी से अंग्रेजी या विषयीयेन अनुवाद पाठ्यक्रम का डिप्लोमा प्रमाण पत्र या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी या		
विपर्ययेन अनुवाद कार्य को दो वर्ष का अनुभव।		
दिप्पण 1: उम्मीदवारों के मामले में अगर वह अर्हता प्राप्त है तो लिखित में रिकार्ड कर कारण देते हुए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधीन अर्हयता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इस समुदाय से उपयुक्त संख्या में लोगों के पास अपेक्षित अनुभव नहीं है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में लिखित में कारण रिकार्ड करते हुए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधीन अनुभव के संबंध में अर्हता में छूट दी जा सकती है।		

(11)	(12)	(13)
लाग् नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. सदस्य, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग — अध्यक्ष; 2. निदेशक या उपसचित्र (गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के विषय से जुड़े हुए) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य नहीं है
	संरक्षण मंत्रालय - सदस्य; 3. निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग - सदस्य	

[फा.सं. ए.12018/31/2017-स्था.-III अनुभाग] शालिनी जुनेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 12th November, 2018

G.S.R. 369.—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Hindi Officer, in the Ganga Flood Commission, Ministry of Water Resources (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 1987, and the Ministry of Water Resources, Ganga Flood Control Commission (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2008, in so far as it relates to the post of Hindi Translator, Grade II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) (erstwhile Hindi Officer) and Junior Translator (erstwhile Hindi Translator Grade II) in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ganga Flood Control Commission, namely:-

Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ganga Flood Control Commission (Official Language Cadre posts) Recruitment Rules, 2018.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these
 rules.
- Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said posts, their classification, level
 in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications
 and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes. Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or Non – Selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Assistant Director (Official Language)	1* (2018) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 (Rs. 56100- 177500	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion]

In case of Recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which promotion /deputation/ absorption on transfer to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite Method: [Deputation (including short – term contract) plus promotion]: Officers from the Central Government or State Governments or Union territory administration or Autonomous or Statutory	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.
organization or Public Sector Undertaking or Universities or Recognized Research Institutes:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or		
(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in level 8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or		
(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or		
(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational qualifications and experience: Master's degree of a recognized University in Hindi with English		
as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;		
OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;		
OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium, English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;		
OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level;		
Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;		
(ii) three years' experience of using applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English		
to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Government or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector		
Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions;		

OR

three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions.

DESIRABLE:

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution of India at tenth class from recognized board.

Note 1: The departmental Junior Translator in level -6 in the pay matrix with eight years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Translator	1* (2018) *Subject variation dependent workload	to on	General Central Service, Group 'B' Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level-6 (Rs. 35400- 112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
						Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level: OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level: OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the	(8) Not applicable	(9) Two years	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbent being away or deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Centra Government: (A) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (B) possessing the
degree level; OR Master's degree of a recognized University in any	A REST		qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;

OR

Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level;

AND

Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government service, including Government of India Undertaking.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified;

Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reason to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Note 2: Period of deputation including period of deputations in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
	Member, Ganga Flood Control Commission – Chairman;	is not necessary.
	Director or Deputy Secretary (dealing with the matter of Ganga Flood Control Commission) Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation — Member;	
	Director, Ganga Flood Control Commission – Member.	

[F.No. A.12018/31/2017-E.-III Section] SHALINI JUNEJA, Under Secv.